

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 06/10/2025.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की आपूर्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि हेतु माह अप्रैल-2025 से सितम्बर-2025 तक के लिए कुल रु० 33,80,290/- (रु० तैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ नब्बे) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संकल्प संख्या-1143 दिनांक-10.05.2018 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को 15 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल-9 किलोग्राम एवं गेहूँ-6 किलोग्राम) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुदानित दर पर खाद्यान्न राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदाम से रु० 5.65/- प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं रु० 4.15/- प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ का क्रय किया जायेगा तथा खाद्यान्न के परिवहन, हथालन तथा भंडारण आदि राज्य सरकार की Door Step Delivery नीति के अनुसार रु० 118.90/- प्रति क्विंटल की दर से राज्य खाद्य निगम को भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) की आपूर्ति योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि हेतु संलग्न सूची में अंकित छात्रावास में वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं के लिए माह अप्रैल 2025 से सितम्बर-2025 तक के लिए कुल रु० 33,80,290/- (रु० तैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ नब्बे) मात्र आवंटित की जाती है।

3- उक्त आवंटित राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत माँग संख्या-11 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उपशीर्ष-0002-छात्रावासों का संधारण, विषयशीर्ष-2101-सामग्री एवं पूर्तियां, विपत्र कोड-11-2225-03-277-0002 के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी संबंधित संपादित कार्य/आपूर्ति वस्तु/Payee को देय राशि के विरुद्ध ही नियमानुसार किया जाय। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी०एल० खातों में अंतरित नहीं किया जाय।

6- उक्त आवंटित राशि से खाद्यान्न का आवंटन उन्हीं आवासित छात्र/छात्राओं को किया जाएगा जो माह अप्रैल-2025 से सितम्बर-2025 में आवासित रहें हैं एवं वर्तमान में वे छात्रावासों में आवासित हैं।

7- खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) आपूर्ति योजनान्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त है। उक्त खाद्यान्न आवंटन के आलोक में खाद्यान्न के क्रय एवं परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि के लिए राशि स्वीकृत की गयी है। जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी स्वीकृत राशि से अपने जिला के अधीनस्थ संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं में वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं के बीच वितरित करने हेतु राशि की निकासी करेंगे जो वर्तमान में छात्रावासों में आवासित हैं एवं राशि का भुगतान बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को करेंगे।

8-योग्य लाभुक/वास्तविक रूप से आवासित छात्र/छात्राओं की सूची में सूचीबद्ध छात्र/छात्राओं की संख्या बल के आलोक में खाद्यान्न के क्रय, परिवहन, हथालन आदि हेतु राशि की निकासी के पश्चात राशि के अवशेष रह जाने की स्थिति में पूर्ण विवरण के साथ विभाग को प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजी जायेगी तथा विभाग से आवश्यक निदेश प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

9- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के नियमानुसार निकासी एवं व्यय हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जाय।

10-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विहित प्रपत्र में) विभाग को निश्चित रूप से भेजेंगे।

11-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त हैं।

12-प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वसभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सं०- पि०व०/विविध-25-14/2018 (खण्ड संचिका)- 87.

पटना, दिनांक- 06/10/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित जिला कोषागार/संबंधित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/संबंधित छात्रावास अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव/बजट प्रशाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सं०- पि०व०/विविध-25-14/2018 (खण्ड संचिका)- 87.

पटना, दिनांक- 06/10/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव कोषांग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक सं०- पि०व०/विविध-25-14/2018 (खण्ड संचिका)- 87.

पटना, दिनांक- 06/10/2025

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट (<https://bcebcwelfare.bih.nic.in>) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में स्वीकृत बल के विरुद्ध डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति (क्रम, परिवहन, हथालन, स्थापना एवं भंडारण आदि) हेतु जिलावार एवं छात्रावासवार आवंटन किये जाने हेतु राशि की विवरणी :-

क्र.सं.	जिला का नाम	छात्रावास का नाम एवं पता	कुल स्वीकृत बल	वर्तमान में नामांकित	अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक देय चावल की मात्रा (कि०ग्रा०)	अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक देय गेहूँ की मात्रा (कि०ग्रा०)	अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक देय कुल खाद्यान्न (कि०ग्रा० में)	चावल रु० 6.839 /kg एवं गेहूँ रु० 5.339 /kg की दर से (परिवहन व्यय आदि सहित) अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक खाद्यान्न पर संभावित व्यय(रु० में)	खाद्यान्न के लिए आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नालंदा	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, राणाविगहा (सिपाह मोड़) दीपनगर थाना के पीछे, बिहारशरीफ, नालंदा	100	95	5,130	3,420	8,550	53343.45	53343.00
2	मधुबनी	जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास, S.B.I. गेन बान्च के बगल में, मधुबनी	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
3	शेखपुरा	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, मखदुमपुर अम्यास मध्य विद्यालय शेखपुरा के निकट, शेखपुरा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, आर०डी० कॉलेज के परिसर में।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
4	कटिहार	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, शूर तुलसी कॉलेज, कटिहार	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास (बालक) के०बी० झा कॉलेज के परिसर में।	100	90	4,860	3,240	8,100	50535.90	50536.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास डी०एस० कॉलेज (बा०), कटिहार	50	40	2,160	1,440	3,600	22460.40	22460.00
5	भागलपुर	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, टी०एन०बी० कॉलेज के दक्षिण छोर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास बालक, टी०एन०बी० कॉलेज परिसर, भागलपुर	100	90	4,860	3,240	8,100	50535.90	50536.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास, विश्वविद्यालय परिसर, भागलपुर	100	90	4,860	3,240	8,100	50535.90	50536.00
6	गया	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, कपिलधारा, गाड़नपुर, गया	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
7	जहानाबाद	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, गाँधी स्मारक इण्टर स्तरीय विद्यालय के कैम्पस में, मलहचक, एरोझाम रोड, जहानाबाद	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के निकट, धनगाँवा, जहानाबाद	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
8	सुपौल	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, एस०डी०एस०के०बी० +2 उच्च विद्यालय, हरदी, सुपौल	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास बी०एस०एस० कॉलेज	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
9	जमुई	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, इन्दौर, जमुई	100	98	5,292	3,528	8,820	55027.98	55028.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के०के०एम० कॉलेज, जमुई के परिसर में।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
10	बेगूसराय	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, SS 108 MR JD Inter College Begusarai	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास बी० पी० इंटर स्कूल, सर्वोदय नगर, बेगूसराय	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
11	पूर्वी चम्पारण	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास अंबिका नगर, मोतिहारी	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, पूर्वी चम्पारण	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, दरभंगा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
12	दरभंगा	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास बी०एम०सी० छात्रावास, गिर्जा खों तालाब, लहेरियासराय	25	20	1,080	720	1,800	11230.20	11230.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास राज उच्च विद्यालय, दरभंगा	100	85	4,590	3,060	7,650	47728.35	47728.00
13	पटना	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास रानीघाट, पटना	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, लोहानीपुर, पटना	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
14	मधेपुरा	जननायक कर्पूरी ठाकुर 'कल्याण छात्रावास, मधेपुरा कॉलेज परिसर, मधेपुरा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास शिवनंदन प्रसाद मंडल +2 उच्च विद्यालय परिसर, मधेपुरा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
15	अररिया	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, अररिया	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
16	कैमूर	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, भमुआ-चैनपुर रोड सुवर्णा नदी के पश्चिमी तट पर।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास मोहनिया, कैमूर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
17	साहरसा	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, साहरसा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
18	बौंका	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास आर०एम०के० इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय परिसर में।	100	60	3,240	2,160	5,400	33690.60	33691.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, बौंका	100	60	3,240	2,160	5,400	33690.60	33691.00
19	खगड़िया	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, रहिमपुर, उत्तरी खगड़िया प्रखण्ड, खगड़िया	100	70	3,780	2,520	6,300	39305.70	39306.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास कोशी कॉलेज परिसर में।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
20	पूर्णिमा	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, बी०बी० एम० उच्च विद्यालय, भट्टा बाजार, पूर्णिमा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, पूर्णिमा	100	80	4,320	2,880	7,200	44920.80	44921.00

क्र० सं०	जिला का नाम	छात्रावास का नाम एवं पता	कुल स्वीकृत बल	वर्तमान में नामांकित	अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक देय चावल की मात्रा (कि०ग्रा०)	अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक देय गेहूँ की मात्रा (कि०ग्रा०)	अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक देय कुल खाद्यान्न (कि०ग्रा० में)	चावल रु० 6.839 /kg एवं गेहूँ रु० 5.339 /kg की दर से (परिवहन व्यय आदि सहित) अप्रैल 2025 से सितम्बर 2025 तक खाद्यान्न पर संभावित व्यय(रु० में)	खाद्यान्न के लिए आवृत्त राशि (रु० में)
21	मुंगेर	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, मुंगेर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास आर० डी० एण्ड जे० डी० कॉलेज परिसर, मुंगेर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
22	बक्सर	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, बक्सर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
23	प्रसिचमी चम्पारण	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, बेतिया।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
24	गोपालगंज	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, सरैया, गोपालगंज।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
25	औरंगाबाद	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, कर्मा भगवान, औरंगाबाद।	100	80	4,320	2,880	7,200	44920.80	44921.00
26	मुजफ्फरपुर	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, मुजफ्फरपुर।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
27	अरवल	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, चिड़ियाटाड, अरवल।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
28	किशनगंज	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, फुलवाड़ी, मारवाड़ी कॉलेज के पीछे, किशनगंज	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास डे० मार्केट किशनगंज	100	95	5,130	3,420	8,550	53343.45	53343.00
29	सारण (छपरा)	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, विष्णुपुरा, छपरा।	100	90	4,860	3,240	8,100	50535.90	50536.00
30	सीतामढ़ी	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, सीतामढ़ी	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास मोकर सासाराम, रोहतास	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
31	रोहतास	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, महिला कॉलेज, डेहरी, रोहतास	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भोजपुर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
32	भोजपुर	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, एस०एस० कॉलेज, भोजपुर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, बुधौल, बस स्टैंड के नजदीक, नवादा	100	90	4,860	3,240	8,100	50535.90	50536.00
33	नवादा	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, रजौली नवादा	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, बुधौल नवादा	100	80	4,320	2,880	7,200	44920.80	44921.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, मुक्तापुर।	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
34	समस्तीपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास यू० आर० कॉलेज परिसर, रोसरा, समस्तीपुर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, अक्षयवट महाविद्यालय, महुआ, वैशाली	100	85	4,590	3,060	7,650	47728.35	47728.00
35	वैशाली	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, देवचंद महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली	100	95	5,130	3,420	8,550	53343.45	53343.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास, युसूफपुर वैशाली	100	60	3,240	2,160	5,400	33690.60	33691.00
		जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, लखीसराय	100	95	5,130	3,420	8,550	53343.45	53343.00
36	लखीसराय	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, शिवहर	100	100	5,400	3,600	9,000	56151.00	56151.00
37	शिवहर	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास,, सीवान	100	72	3,888	2,592	6,480	40428.72	40429.00
38	सीवान	कुल योग-	6375	6020	325080	216720	541800	3380290.20	3380290.00

(रु० तैंतीस लाख अस्सी हजार दो सौ नब्बे) मात्र।

का अनुलग्नक

दिनांक- 06/10/2025

पत्रांक-

87.

सरकार के अवर सचिव